1

[2021] 4 एस. सी. आर. 439

गुरदेव सिंह

विरूद्ध

पंजाब राज्य

(आपराधिक अपील क्रमांक 375/2021)

अप्रैल 06, 2021

[न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह, जे. जे.]

दण्डादेशः– अपीलार्थी/अभियुक्त की धारा 21 एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत दोषसिद्धि उसके कब्जे से एक किलो हिरोर्इन पायी गयी, जो कि न्यूनतम वाणिज्यिक मात्रा से चार गुना अधिक थी। एन.डी.पी.एस. एक्ट के अनुसार, 250 ग्राम एवं उससे अधिक के मादक पदार्थ/ नशीले पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा के अंतर्गत आते हैं। जहॉ तक वाणिज्यिक मात्रा से सम्पृक्त संबंध है, वह 20 साल एवं उससे अधिक के कठोर कारावास से दण्डनीय है। अपीलार्थी 15 साल के कठोर कारावास एवं 2 लाख के जुर्माने से दंडित किया गया था। अपीलार्थी का अभिवचन यह है कि 15 साल कठोर कारावास जो कि कारावास की न्यूननत अविध 10 वर्ष के कठोर कारावास से अधिक है, अधिरोपित करते हुए, न तो विशेष न्यायालय ने न ही उच्च न्यायालय ने धारा 32 एन.डी.पी.एस. एक्ट के उल्लेखित कारकों का कोर्इ कारण समानुदेशित नहीं किया।

निर्णित अपीलार्थी/अभियुक्त के कब्जे से एक किलो ग्राम हिरोर्इन पाया गया आैर वह उसने सूचनाकर्ता को विक्रय कर दिया, इसलिये उसको वाहक मात्र नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकरण में एक वाहक भी जिसे यह ज्ञान है कि वह मादक पदार्थ/ नशीला पदार्थ धारण किये हुए हैं आैर वह भारी मात्रा में मादक पदार्थ/ नशीले पदार्थ के साथ पाया जाता है, उसको भी अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम दण्ड से अधिक दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है, इसलिये 15 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2 लाख रूपये का जुर्माना जो कि विशेष न्यायालय ने अधिरोपित किया है एवं उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है, में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता कि दण्ड को अधिरोपित करते समय न्यायालय ने किन्हीं अनुसंगत कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया । धारा 32 बी एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985

दण्ड को कम करने वाली परिस्थितयां : नशीले पदार्थों के दुव्यापार का अपराध एन.डी.पी.एस. एक्ट अधिनियम के प्रकरण में दण्ड अधिनिर्णीत करते समय संपूर्ण समाज के हितों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985

2. पदार्थ की मात्रा " जैसा वह सही समझे जैसे कारकों" में आती है आैर अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय यदि न्यूनतम से अधिक कारावास अधिरोपित की जाती है एवं यदि न्यायालय ने पदार्थ की बड़ी/ अधिक मात्रा के कारक को ध्यान में रखा है तो वह यह नहीं कहा जा सकता कि न्यायालय को 10 वर्ष से 20 वर्ष तक के कारावास को अधिरोपित करने का व्यापक विवेकाधिकार मिला है एवं एेसा दण्डादेश/ कारावास को अधिरोपित करने के अतिरिक्त न्यायालय धारा 32 बी (ए) से (एफ) में सांख्यिक कारकों, जिसे वह सही समझे, को ध्यान में रख सकता है। उच्च न्यायालय ने केवल यही ध्यान दिया है कि यह कारक सुसंगत कारक है या नहीं। अभियुक्त की आेर से कमतर दण्ड देने एवं उदार नजरिये को अपनाने के लिये किए गए अनुरोध में वास्तव में विशेष न्यायालय ने अधिकतम 20 वर्ष का दण्ड अधिरोपित न करते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड अधिनिर्णीत करने वाले कारकों/ सुसंगत तथ्यों पर ध्यान दिया, इसलिये, यह नहीं कहा जा सकता कि दण्ड अधिरोपित करते समय विशेष न्यायालय ने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया।

3. अभियुक्त की आेर से यह प्रस्तुत करना था कि मुख्य आपत्तिकर्ता को गिरफतार नहीं किया गया एवं अपीलार्थी जो कि मात्र एक वाहक है, यह उच्च न्यायालय द्वारा विशेष न्यायालय के दण्डादेश की पुष्टि करने के हस्तक्षेप करने के आधार नहीं हो सकते। अधिकांश मामलों में मुख्य आपत्तिकर्ता जो कि देश के बाहर हो, को गिरफतार नहीं किया जाता। एक बार यदि मादक पदार्थ/ नशीले पदार्थ आरोपी के अवैध कब्जे में पाये जाते हैं, परिस्थितयॉ समर्थन करती हैं तो अधिनियम में न्यूनतम निर्धारित से अधिक दण्ड अधिनिर्णीत किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में 1 किलो ग्राम हिरोइन अपीलार्थी/ आरोपी के कब्जे में पायी गयी एवं वह उसने सूचनाकर्ता को विक्रय कर दी, इसीलिये उसे मात्र वाहक नहीं कहा जा सकता । इसलिये उसको वाहक मात्र नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकरण में एक वाहक भी जिसे यह ज्ञान है कि वह मादक पदार्थ/ नशीला पदार्थ धारण किये हुए हैं आैर वह भारी मात्रा में मादक पदार्थ/ नशीले पदार्थ के साथ पाया जाता है, उसको भी अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम दण्ड से अधिक दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है, इसलिये 15 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2 लाख रूपये का जुर्माना जो कि विशेष न्यायालय ने अधिरोपित किया है एवं उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है, में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता कि दण्ड को अधिरोपित करते समय न्यायालय ने किन्हीं अनुसंगत कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया ।

4. अभियुक्त की आेर से यह प्रस्तुत किया गया कि पर्याप्त दण्ड अधिरोपित करने का प्रश्न भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में संरक्षित है आैर उग्रात्मक एवं गंभीरता को कम करने वाली परिस्थितयों को उचित महत्व देने की आवश्यकता है आैर वर्तमान प्रकरण में उग्रात्मक से अधिक गंभीरता को कम करने वाली परिस्थितयॉ है आैर इसलिये अधिनियम में प्रदत्त न्यूनतम से अधिक दण्ड न्यायोचित एवं समर्थन योग्य नहीं है। अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 21 के अपराध में दोषी ठहराया गया, जिममें आरोपी के पास 1 किलो हिरोईन पायी गयी, जो कि वाणिज्यिक मात्रा से चार गुना अधिक है। इस प्रक्रम पर यह आवश्यक है कि एन.डी.पी.एस. अधिनयम के अधिनियमित होने के

कारणों एवं उददेश्यों के विवरण को निदिष्ट किया जाये। एन.डी.पी.एस अधिनियम 1985 के अधिनियम होने के पूर्व भारत में मादक पदार्थ पर वैधानिक नियंत्रण कर्इ केन्द्रीय एवं राज्य अधिनियम, जैसे कि– The Opium Act, 1857, The Opium Act 1878, The Dangeruos Druge Act 1930 द्वारा प्रयोग किया जाता रहा, हालांकि समय एवं विकास के साथ यह देखा आैर पाया गया कि–

(i) राष्टीय एवं अंतराष्टीय स्तर पर नशीले पदार्थ की अवैधानिकता तस्करी एवं नशीले पदार्थ के दुरूपयोग की चुनौती से निपटने के लिये उपरोक्त अधिनियमों में शास्तीयों की योजना पर्याप्ततः निवारक नहीं है।

(ii) पिछले कुछ वर्षों से देश नशीले पदार्थों के पारर्गामत दुर्व्यापार कि समस्या का सामना कर रहा है जो मुख्यतः पड़ोसी देशों से आता है एवं पश्चात्य देशों की आेर निर्यात होता है।

(iii) हाल ही के वर्षों के दौरान नया लत का पदार्थ जो कि मनः प्रभावी पदार्थों के नाम से जाना जाता है आैर राष्टीय स्तर सरकारों के लिये गंभीर समस्या का कारण बन गया है, इसलिये उपरोक्त कमियों पर काबू पाने की दृष्टि से ए.डी.पी.एस. एक्ट अधिनियम किया गया। यह कि तत्पश्चात बाजार में अतिप्रवाहित खतरनाक नशीले पदार्थ की समस्या से निपटने के लिये अधिनियम की धारा 37 में संशोधन किया गया एवं यह उपबंधित किया गया कि विचारण के दौरान अभियुक्त को जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जाना चाहिये, जब तक कि धारा 37 की अनिवार्य शर्त को संतुष्ट न किया जाये।

6. अभियुक्त की आेर से प्रस्तुत निवेदन जो कि उदार दृष्टिकोण रखने एवं कमतर आैर उग्र परिस्थितियों के संबंध में किया गया था एवं न्यूनतम से अधिक दण्ड अधिरोपित करने के मामले में यह ध्यान में रखना चाहिए कि किसी हत्या के प्रकरण में अभियुक्त द्वारा एक ही व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी होती है, जबकि जो व्यक्ति नशीले पदार्थों का व्यापार करने हैं, वे कर्इ निर्दोष कम उम्र के पीडितों जो कि दुर्बल हैं, उन्हें घातक चोट कारित करने के साधन होते हैं, वे समाज पर हानिकारक एवं घातक प्रभाव डालते हैं एवं वे समाज के लिये संकटमय हैं, इसीलिये पूरे समाज पर इसका घातक प्रभाव हुआ है। इसीलिये एन.डी.पी.एस. एक्ट में दण्ड निर्णीत करते समय संपूर्ण समाज का हित भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इसीलिये, कमतर एवं उग्र परिस्थितयों में सांमजस्य बैठाते समय, लोक हित, संपूर्ण समाज पर प्रभाव हमेशा ही पयार्प्त अधिकतम दण्ड के पक्ष में होगा। इसीलिये अभियुक्त् का गरीब होना मात्र एवं एक वाहक करने वाली परिस्थितयों में नहीं आयेगा। एन.डी.पी.एस.एक्ट में अभियुक्त के पक्ष वर्तमान प्रकरण में अन्यथा भी िवशेष न्यायालय से बीस वर्ष कठोर कारावास का अधिकतम दण्ड अधिरोपित करने के स्थान पर पन्द्रह वर्ष कठोर कारावास का दण्ड अधिरोपित करने में अभियुक्त का गरीब होना एकमात्र कमाने वाला होना एवं प्रथम अपराध होने जैसे प्रस्तुतिकरण को ध्यान में रखा गया है।

रफीक कुरैशी वि. स्वापक नियंत्रण ब्युरो, पूर्वी जोनल यूनिक **(2019) 6 एस.सी.सी. 492 (2019) 7 एस.सी.आर.248, सोनम वि. केरल राज्य**

(2013) 11 एस.सी.सी. 382 (2012) 11 एस.सी.आर. 1155 *हरियाण राज्य वि. आशा देवी* **(2015) 8 एस.सी.सी.39 (2015) 6 एस.सी.आर. 348**

संदर्भित निर्णीत विधि

(2019) 7 एस.सी.आर. 248	निर्देशित	पैरा 3.2
(2012) 11 एस.सी.आर. 1155	निर्देशित	पैरा 3.3
(2015) 6 एस.सी.आर. 348	निर्देशित	पैरा 3.3

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार; अपराध अपील क्रं. 375(2021) सी.आर.ए.– डी क्रं. 311–डी.बी ऑफ 2018 (ओ एण्ड एम) में पंजाब एवं हरियाण उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांकित 28.11.2019 अपीलार्थी के अधिवक्तागण सिद्धार्थ मित्तल एवं प्रभात कुमार एवं प्रत्यर्थी के अधिवक्तागण – जसप्रीत गोगिया, अशीमा मंडला, मंदाकिनी सिंह, करणवीर गोगिया, शिवांगी सिंघल

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम.आर. शाह द्वारा प्रतिपादित–

01. पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय द्वारा सी.आर.ए. डी.बी क्रं. 33 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 28.11.2019 से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने तथाकथित अपील प्रस्तुत की गई– जिसमें की विद्वान विशेष न्यायालय ने अभियुक्त की दोषसिद्ध की एवं धारा 21 एन.डी.पी.एस.एक्ट में 15 वर्ष कठोर कारावास एवं 02 लाख रूपये के जुर्माना एवं जुर्माना न देने में व यत्क्रिम करने की दशा में एक वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया था।

02. प्रथमत: यह ध्यान देना आवश्यक है कि आदेश दिनांकित 16.12.2020 में इस न्यायालय ने अपीलार्थी की धारा 21 में दोषसिद्ध में हस्तक्षेप करने से इंकार किया था, हालंकि दण्ड के प्रश्न पर विवादक को सीमित रखा गया था, इसलिये वर्तमान अपील में 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 02 लाख रूपये के जुर्माना एवं व्यक्तिक्रम की दशा में 01 वर्ष के कठोर कारावास को भुगताने के प्रश्न पर ध्यान देना आवश्यक है।

03. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 21 में न्यूनतम दण्ड 10 वर्ष का उपबंधित है और प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 32 बी के अनुसार जहां कि कारावास की न्यूनतम अवधि एवं जुर्माने का मूल्य उपबंधित है, न्यायालय इन कारकों के अतिरिक्त धारा 32 बी में अधिक दण्ड को अधिरोपित करने के कारणों को ध्यान में रख सकती है, यह भी प्रस्तुत किया कि न्यायालय ने वर्तमान प्रकरण में 15 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड अधिरोपित करते समय धारा 32 बी में उल्लेखित कारकों को ध्यान में रखा। यह भी प्रस्तुत किया कि

15 वर्ष का कठोर कारावास अधिरोपित करते समय न तो विशेष न्यायालय ने, न ही उच्च न्यायालय ने धारा 32 बी में उल्लेखित कारकों को समानुदेशित नहीं किया।

3.3 अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि माननीय उच्च न्यायालय ने समय–समय पर यह निर्णय किया है कि पर्याप्त दण्ड अधिनिर्णित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में संरक्षित व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न है, एवं कमतर एवं उग्रतर परिस्थितियो को उचित महत्व देने की आवश्यकता है। ***Soman Vs. State of Kerala,*** (2013) 11 SCC 382 and ***State of harayana vs. asha devi (2015) 8 SCC 39*** के निर्णय पर निर्भरता रखी गयी। यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान प्रकरण में दण्ड को कम करने वाली परिस्थितियां है– (i) अपीलार्थी एक गरीब एवं एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है। (ii) विचारण न्यायालय ने यह पाया कि दण्ड के प्रश्न पर ध्यान रखते समय न्यायालय को उदार दृष्टिकोण रखना चाहिये। (iii) अपीलार्थी मात्र वाहक था एवं मुख्य आरोपी मलकेत सिंह कभी गिरफतार नहीं हुआ। (iv) अपीलार्थी प्रथम बार का अभियुक्त है एवं उसके विरूद्ध कोई लंबित प्रकरण नहीं है। यह प्रस्तुत किया कि उग्रतर परिस्थितियां है – (i) अपराध वाणिज्यक मात्रा के संबंध में किया गया है। (ii) बाधित नशीले पदार्थ की मात्रा वाणिज्यक मात्रा के चार गुना थी। यह प्रस्तुत किया कि अभियुक्त के पक्ष में कमतर परिस्थितियां अधिकतम दण्ड की परिस्थितयों से अधिक है एवं न्यूनतम दण्ड से अधिक दण्ड अधिनियम द्वारा समर्थित नहीं है।

04. यह प्रस्तुत किया है कि वर्तमान प्रकरण में तथा जैसे कि अभियोजन का प्रकरण साबित तथा स्थपित हो चुका है, अभियुक्त हिरोईन बेच रहा था। यह प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त के पास 01 किलो हिरोईन पायी गयी, जोकि वाणिज्यक मात्रा से बहुत अधिक एवं वाणिज्यक मात्रा की न्यूनतम मात्रा से 04 गुना ज्यादा है। यह प्रस्तुत किया कि 250 ग्राम न्यूनतम वाणिज्यक मात्रा है तथा वर्तमान प्रकरण अभियुक्त के पास 01 किलो हिरोईन पाया गया, जोकि अधिनियम उपबंधित न्यूनतम वाणिज्यक मात्रा से 04 गुना अधिक है। यह प्रस्तुत किया है कि ***रफीक कुरैशी (उपरोक्त)*** के प्रकरण में यह निर्णित किया गया, कि बरामद नशीला पदार्थ, न्यूनतम सजा से ज्यादा सजा अधिरोपित करने के लिए एक सुसंगत तथ्य हो सकता है आैर इस प्रकार पदार्थ की जितनी मात्रा के साथ अभियुक्त को अधिरोपित किया गया है, वह एक सुसंगत तथ्य है, जिसे कि सजा की मात्रा निर्धारित करते समय विचारण में लिया जा सकता है। यह विचारित एवं निर्णीत किया गया है कि न्यूनतम से अधिक सजा अधिरोपित करने का निर्णय उन तथ्यों तक सीमित नहीं है, जो धारा 32 बी के खण्ड (क) से (च) तक दिये है एवं इन तथ्यों को विचारित करने का विवेकाधिकार न्यायालय से नहीं छिना गया है। यह प्रस्तुत किया कि उपरोक्त प्रकरणों में यद्यपि यह पाया गया है कि न्यायालय ने धारा 32 बी के खण्ड (क) से (च) तक में उल्लेखित तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया है, इस तथ्य को विचार में रखते हुए निर्मित पदार्थ की मात्रा न्यूनतम वाणिज्यक मात्रा से बहुत ज्यादा अधिक है। अत: विद्वान विशेष न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों जोकि यह है कि उन्होंने अधिनियम की धारा 21 में उल्लेखित न्यूनतम सजा से अधिक सजा/ दण्ड अधिरोपित किया है, मैं यह न्यायालय हस्तक्षेप करने से इंकार करता है। यह प्रस्तुत

किया कि वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में अभियुक्त को वाहक के रूप में पाय गया है एवं इसलिये इस न्यायालय ने सजा को 16 वर्ष से कम करके 12 वर्ष का कठोर कारावास कर दिया है। यह प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त के पास 01 किलो की अत्यधिक मात्रा में हिरोईन पाया गया है और वह नशीले पदार्थ बेचते हुए पकड़ गया। विद्वान न्यायालय द्वारा अधिरोपित 15 वर्ष का कठोर कारावास एवं 02 लाख रूपये का जुर्माना जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गयी, मैं हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं है।

05. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना गया।

06. वर्तमान प्रकरण में मूल अभियुक्त/ अपीलार्थी 01 किलो हिरोईन के साथ पकड़ा गया, जोकि 250 ग्राम हिरोईन की न्यूनतम वाणिज्यक मात्रा से 04 गुना अधिक था और एन.डी.पी.एस.एक्ट के अंतर्गत इसके ऊपर का नशीला पदार्थ, वाणिज्यक मात्रा है। अधिनियम की धारा 21 में न्यूनतम दण्ड 10 वर्ष का कठोर कारावास है। वाणिज्यक मात्रा के संदर्भ में यह 20 वर्ष का कठोर कारावास है। अत: वाणिज्यक मात्रा के लिये न्यूनतम कारावास 10 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 20 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए एवं जुर्माना 01 लाख रूपये से कम नहीं होना चाहिये तथा जुर्माना 02 लाख रूपये तक का हो सकता है। अधिनियम में धारा 32 बी उन कारकों को बताता है, जो न्यूनतम कारावास से अधिक कारावास देते समय ध्यान रखे जा सकते हैं । अधिनियम की धारा 32 बी निम्नलिखित है– ''32 बी न्यूनतम दण्ड से उच्चतर दण्ड अधिरोपित करने के लिये विचार में लिए जाने वाले कारक है– जहॉ इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी अपराध के लिये कारावास की कोई न्यूनतम अवधि या अर्थदंड अवधि या अर्थदंड की रकम विहित है, वहॉ न्यायालय कारावास की न्यूनतम अवधि या अर्थदंड करने के लिये ऐसी बातों के अतिरिक्त, जिन्हें वह ठीक समझे, निम्नलिखित कारकों को विचार में ले सकेगा। अर्थात–

(क) अपराधी द्वारा हिंसा या आयुध का उपयोग या उसके उपयोग की धमकी।

(ख) यह तथ्य की अपराधी लोक पद धारण करता है और उसने अपराध करने में उस पद का लाभ उठाया है।

(ग) यह तथ्य कि अपराधी द्वारा अवयस्क प्रभावित होते हैं या उस अपराध के किये जाने के लिये अवयस्कों का उपयोग किया जाता है।

(घ) यह तथ्य कि अपराध किसी शिक्षा संस्था या सामाजिक सेवा संकाय में या ऐसी संस्था या संकाय के ठीक निकट या ऐसे अन्य स्थान में, जिसमें विद्यालय के बालक ओर छात्र शिक्षा, क्रीडा और सामाजिक क्रिया कलापों के लिए आते जाते हैं, किया जाता है।

(ड.) यह तथ्य कि अपराधी संगठित अंतराष्टीय या किसी ऐसे अन्य अपराधी समूह का है जो अपराध करने में लगा है और

(च) यह तथ्य कि अपराधी अपराध करके सुकर बनाये गये अन्य अवैध क्रियाकलापों में लगा हुआ है।

इसलिये, न्यूनतम दण्ड से उच्चतर दण्ड अधिरोपित करते समय न्यायालय को अधिनियम की धारा 32 बी को ध्यान में रखना चाहिये। हांलाकि अधिनियम की धारा 32 बी में ही यह लिखा है कि न्यायालय अन्य कारकों को जिसे वो ठीक समझे को भी न्यूनतम सजा से उच्चतर सजा अधिरोपित करते समय ध्यान में ले सकता है, इसलिये धारा 32 बी के निष्पक्ष अध्ययन से यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यूनतम से उच्चतर दण्ड देते समय न्यायालय केवल उन्हीं कारकों का विचारण करेंगा जो धारा 32 बी में उल्लेखित है, यहीं प्रश्न ***रफीक कुरैशी (उपरोक्त)*** के प्रकरण में विचारित किया गया था, आगे यह विचारित किया जाता है कि अभियुक्त मादक पदार्थ की जिस मात्रा के साथ आरोपित किया गया है, यह एक सुसंगत कारक है, जिसे दण्ड की मात्रा नियत करते समय विचारण में लिया जा सकता है। पैरा 15.1 से 16 तथा 18 में यह निर्णीत किया गया है कि :–

> ''15.1 न्यायालय, जहां न्यूनतम सजा निर्धारित है वहां ऐसे कारकों को विचार कर सकती है, जिन्हें वह न्यूनतम अवधि से अधिक सजा या जुर्माना देने के लिये उपयुक्त समझती है।
>
> 15.2 इसके अतिरिक्त, खण्ड (क) से (च) तक में बताये गये अनुसार न्यूनतम से उच्चतर सजा देने के कारकों को भी ध्यान दे सकती है।
>
> 16. वैधानिक योजना यह इंगित करती है कि न्यूनतम से उच्चतर सजा देने का खण्ड (क) से (च) तक में उल्लेखित कारकों तक सीमित नहीं है, ऐसे कारकों पर विचार करने का न्यायालय का विवेकाधिकार छिना नहीं जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास उस मात्रा में निर्मित पदार्थ रखा गया है, जो वाणिज्यक मात्रा के बराबर है, धारा 21(ग) के अंतर्गत सजा 10 वर्ष से कम नहीं होगी, जो 20 वर्ष तक हो सकती है, परन्तु यदि मान ले निर्मित्त मादक पदार्थ वाणिज्यक मात्रा से 20 गुना अधिक है, यह न्यूनतम सजा से उच्चतर सजा देने के लिये सुसंगत तथ्य है, अत: जिस पदार्थ मात्रा में अभियुक्त को दण्ड से अधिरोपित किया गया है, यह सुसंगत कारक है, खण्ड (क) से (च) तक जैसे कि धारा 32 बी में उल्लेखित है, ऐसे कारकों को संदर्भित नहीं करते है, जो पदार्थ की मात्रा के संदर्भ में हो। ऐसी स्थिति में जब न्यायालय उस मात्रा के परिणाम पर विचार करता है, जिसके संबंध में अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है, तो उक्त कारक सुसंगत कारक होते है और न्यायालय को यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायालय ने न्यूनतम दण्ड से अधिक दण्ड देकर ऐसे किसी कारक पर विचार करते समय कोई त्रुटि कारित की है।

6.1 इसलिये मादक पदार्थ की मात्रा **"ऐसे कारकों में आयेगी, जो वह उचित समझे''** और न्यूनतम से उच्चतर सजा अधिरोपित करने में अपना विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय यदि न्यायालय ने पदार्थ की अधिक मात्रा के ऐसे कारका को ध्यान में रखा है, यह कहा जा सकता है कि न्यायालय ने कोई त्रुटि कारित की है। न्यायालय के पास 10 वर्ष से 20 वर्ष के बीच कारावास देने का व्यापक विवेकाधिकार है, और इसके अतिरिक्त ऐसा कारावास देते समय न्यायालय धारा 32 बी में बताये गये अन्य कारकों को भी

ध्यान में रख सकता है, इसलिये न्यूनतम सजा लगाते समय धारा 32 बी के खण्ड (क) से (च) तक में लिखे कारकों के अलावा ऐसे कारकों पर विचार करता है, जो वह उचित समझता है, तो न्यायालय को केवल इस बात पर विचार करना होगा कि क्या '' ऐसे कारक'' एक सुसंगत कारक है या नहीं।

6.2 विधि के उपरोक्त सिद्धांतों के मामले में तथ्यों पर लागू करते हुये, इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा लगाये गये 02 लाख रूपये के जुर्माने के साथ 15 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है, और उच्च न यायालय द्वारा पुष्टि की गयी है, तो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्कता है। आरोपी की ओर से कम सजा देने और उसे सजा सुनाते हुए नर्म रूख अपनाने के अनुरोध पर विचार करते समय विशेष न यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की अधिकतम सजा न देते हुए, 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए वास्तव में इन सुसंगत तथ्यों/ कारकों को ध्यान में रखा है, इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि सजा सुनाते समय विशेष न्यायालय ने बिल्कुल भी विचार नहीं किया है।

6.3 अभियुक्त की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रमुख आपत्तिकर्ता को गिरफतार नहीं किया गया है और अपीलार्थी केवल वाहक है, यह विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा अधिरोपित सजा जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गयी है, में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं हो सकता है। अधिकांश मामलों में प्रमुख आपत्तिकर्ता, जो देश के बाहर से हो सकता है को पकड़ा या गिरफतार नहीं किया जा सकता है। एक बार जब आरोपी के पास मादक पदार्थ का अवैध कब्जें में पाया जाता है, तो उसे अधिनियम के तहत निर्धारित/ प्रावधानित न्यूनतम से अधिक सजा दी जा सकती है।

6.4 वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी/ अभियुक्त के पास 01 किलो हिरोईन पाया गया है, और उसने इसे सूचनाकर्ता को बेच दिया है। अत: उसे मात्र वाहक नहीं कहा जा सकता। दिये गये प्रकरण में यहां तक कि एक वाहक जिसे यह जानकारी है कि वह अपने साथ मादक पदार्थ ले जा रहा है और नशीले पदार्थों की अत्यधिक वाणिज्यक मात्रा में पकड़ा जाता है, अधिनियम में दी गयी न्यूनतम सजा से अधिक दण्ड भी िदया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में जैसा की ऊपर देखा गया है कि आरोपी के पास 01 किलो हिरोईन पायी गयी है और न्यूनतम वाणिज्यक मात्रा 250 ग्राम है। इसलिये आरोपी के पास न यूनतम वाणिज्यक मात्रा से चार गुना अधिक मात्रा में कब्जा किया गया है और इसलिये विद्वान विचारण न यायालय द्वारा 02 लाख रूपये के जुर्माना के साथ 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी की है, मैं इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

7. अब जहां तक आरोपी की ओर से यह निवेदन है कि पर्याप्त सजा देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न है और वर्तमान में कम करने वाली ओर गंभीर परिस्थितियों को उचित महत्व देने की आवश्यकता है, यदि अभियुक्त के पक्ष में शमन करने वाली परिस्थितियां गंभीर परिस्थितियों से अधिक है और इसलिये अधिनियम के तहत प्रदान की गयी न्यूनतम

से अधिक सजा उचित नहीं है और यह आवश्यक है, तो शुरूआत में ध्यान दिया जाना आवश्यक है, अपीलार्थी अधिनियम की धारा 21 के तहत अपराध के लिये दोषी ठहराया गया और 01 किलो हिरोईन के कब्जे में पाया गया, जो कि वाणिज्यक मात्रा से 04 गुना ज्यादा है। अभियुक्त की ओर से परिस्थितियों को कम करने और बढ़ने की दलील पर विचार करते समय और नरम रूख अपनाने और अधिनियम के तहत प्रदान की गयी, न्यूनतम सजा को अधिक सजा देने के अनुरोध पर यह ध्यान में रखा जाना चाहिये। इस देश में नशीली दवाओं की अवैध तस्करी से जनता के बड़े वर्ग, विशेष रूप से दोनों लिंगों के किशोरों और छात्रों में नशीली दवाओं की लत लग जायेगी और यह खतरा पैदा हो जायेगा।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आैर यहां उपर बताये गये कारणों के लिए, वर्तमान अपील में कोई सार नहीं है आैर यह अपील खारिज किये जाने योग्य है आैर तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

देविका गुर्जर अपील खारिज की जाती है।